भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4216
दिनांक 01 अप्रैल, 2026 / 11 चैत्र, 1948 (शक) को उत्तर के लिए

केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएँ

4216. श्रीमती ममता ठाकुर:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास 7 नई केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोशालाओं की स्थापना के लिए आवंटित ₹860 करोड़ के संबध में कोई आंकड़ा उपलब्ध है;

(ख) वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही तक नई दण्ड विधियों की आवश्यताओं के अनुसार फोरेंसिक साक्ष्यों को संभालने के लिए कितनी प्रयोगशालाएँ पूरी हो चुकी हैं और उन्हें मान्यता प्राप्त हो चुकी है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) से (ग) वर्तमान में देश में 07 (सात) केन्द्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएँ (सीएफएसएल) मौजूद हैं, जो चंडीगढ़, दिल्ली, कामरूप (असम), कोलकाता (पश्चिम बंगाल), भोपाल (मध्य प्रदेश), पुणे (महाराष्ट्र) और हैदराबाद (तेलंगाना) में स्थित हैं। राष्ट्रीय फोरेंसिक अवसंरचना संवर्धन योजना के तहत कुल 860.3 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय से देश में 07 नई सीएफएसएल, केरल, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तमिलनाडु, बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में स्थापित करने की मंज़ूरी दी गई है। अब तक, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा रायपुर (छत्तीसगढ़), खोरधा (ओडिशा) और चेंगलपट्टू (तमिलनाडु) में भूमि आवंटित की गई है। उपरोक्त के अलावा, सांबा (जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश) में 99.9 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय से एक और सीएफएसएल स्थापित करने की भी मंज़ूरी दी गई है।

मौजूदा 07 सीएफएसएल को राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) द्वारा प्रत्यायन प्राप्त है। एक प्रयोगशाला को उसके क्रियान्वित होने पर ही प्रत्यायन प्रदान किया जाता है।
